

# समाहरणालय, पूर्णिया

(जिला विधि शाखा)

## सूचना

विभिन्न न्यायालयों में पूर्णिया जिला से संबंधित न्यायिक वादों में प्रतिशपथ पत्र दायर करने हेतु तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु अधिवक्ताओं/केन्द्र सरकार, राज्य सरकार का सार्वजनिक उपक्रम से सेवानिवृत्त अंग्रेजी जानने वाले सुयोग्य पदाधिकारियों/कर्मचारियों से आवेदन पत्र निम्नांकित प्रपत्र में आमंत्रित किया जाता है -

## आवेदन प्रपत्र

1. अधिवक्ता/सरकारी सेवक का नाम :-
2. पिता/पति का नाम :-
3. जन्म तिथि :-
4. शैक्षणिक योग्यता :-
5. अधिवक्ता के रूप में नामांकण सं० एवं वर्ष :-
6. अधिवक्ता के रूप में योगदान की तिथि :-
7. सरकारी सेवक के रूप में सेवानिवृत्ति की तिथि :-
8. सरकारी एवं गैर सरकारी संस्था के लिए विधि कार्य सम्पादित करने का अनुभव :-
9. जाति/वर्ग(सामान्य/पिछड़ी जाति/अति पिछड़ी जाति/महिला/अल्प संख्यक/अनु०जाति/अनु० जनजाति) :-
10. अपराधिक मुकदमा/विभागीय कार्रवाई (यदि हों तो पूर्ण विवरण) :-


तिथि .....

आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर

इच्छुक अधिवक्ता/सेवानिवृत्त सरकारी पदाधिकारी, कर्मी उपरोक्त प्रपत्र में हस्तलिखित/टंकित आवेदन पत्र, क्रमांक 3,4,5,6,7,8,9 में वर्णित सूचना की संपुष्टि हेतु वांछित प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति एवं क्रमांक 10 में वांछित सूचना पूर्व विवरण के साथ देंगे। क्रमांक 10 में अंकित तथ्य यदि आवेदक पर लागू नहीं होता है, तो इस संबंध में स्वघोषणा पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र दो प्रतियों में सूचना प्रकाशन की तिथि से 15(पन्द्रह) दिनों के अन्दर निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट या हाथों-हाथ जिला विधि शाखा समाहरणालय, पूर्णिया में दिया जा सकता है। पैनल हेतु चयनित अधिवक्ताओं/सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को तथ्य विवरणी तैयार किए जाने के एवज में वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प (समय-समय पर निर्गत) में वर्णित दर पर भुगतान किया जाएगा।

ज्ञापांक .....130...../विधि, पूर्णिया दिनांक .....10.1.20.....

- प्रतिलिपि :- आई०टी० प्रबंधक, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्णिया जिला को सूचनार्थ एवं अपने-अपने सूचना पट्ट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, जिला नजारत शाखा, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि सूचनापट्ट पर प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।
- प्रतिलिपि :- सचिव, बार एसोशिएशन, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं सभी अधिवक्ताओं की जानकारी के लिए सूचना पट्ट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- निबंधक, व्यवहार न्यायालय, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं एक-एक प्रति सभी न्यायालय के सूचनापट्ट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्णिया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

↓  
  
 जिला पदाधिकारी,  
 पूर्णिया।